छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : M-PRO-2018-00168

श्री ओम प्रकाश वर्मा विरूद्ध जय लोकनाथ बाबा एवं श्रीमती पी. जगदीश कौर, रायपुर

प्रोजेक्ट–FRESH AIR FRAMES, अमलेश्वर, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
17/12/2018		

– प्रकरण प्रस्तुत।

– प्रकरण में आवेदक स्वयं उपस्थित।

– अनावेदक अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित।

– प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा अनावेदक के ग्राम–अमलेश्वर, तह.–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट "FRESH AIR FRAMES" में भूखण्ड/प्लॉट क्रय करने हेतु रूपये 4,00,000/– में सौदा किया गया। आवेदक का कथन है कि उसके द्वारा अनावेदक को अब तक कुल रूपये 1,01,000/– का भुगतान किया जा चुका है। आवेदक ने यह भी कथन किया है कि प्रश्नाधीन भूखण्ड/प्लॉट हेतु अनावेदक को दी गई सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया है।

– प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक को आहूत कर उन्हें पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक ने अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर आवेदक को भुगतान की गई संपूर्ण राशि रूपये 1,01,000/– ब्याज सहित लौटाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। जिसे आवेदक ने भी प्राधिकरण के समक्ष स्वीकार किया।

– अनावेदक द्वारा दिनाँक 17.12.2018 को प्राधिकरण के समक्ष उक्त संपूर्ण राशि ब्याज सहित आवेदक को निम्नानुसार पोस्ट डेटेड चेक के माध्यम से लौटाया गया। साथ ही इस चेक की छायाप्रति भी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की।

चेक क्रमांक	दिनाँक	राशि
चेक क्रमांक–035236	19.12.2018	1,86,000/–
	कुल	**1,86,000/–**

– आवेदक ने भी उक्त सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित वापस प्राप्त होने तथा प्रस्तुत शिकायत पर कोई अन्य कार्यवाही नहीं चाहने के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष सहमति व्यक्त की है।

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : M-PRO-2018-00168

श्री ओम प्रकाश वर्मा विरूद्ध जय लोकनाथ बाबा एवं श्रीमती पी. जगदीश कौर, रायपुर

प्रोजेक्ट–FRESH AIR FRAMES, अमलेश्वर, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर	– प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण में आवेदक को उसके द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित वापस प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता न होने से प्रकरण समाप्त कर निराकृत किया जाता है। यदि किन्हीं कारणों से अनावेदक द्वारा प्रदत्त चेक अनादरित होता है, तो आवेदक प्राधिकरण के समक्ष पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। – प्रकरण नस्तीबद्ध करते हुए अभिलेखागार भेजा जावे। (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर (विवेक ढाँड) अध्यक्ष भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर	